

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300

244

रकबा : 19 कनाल 3 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/ केअ02/ 1899 घा0 9/2014 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम की है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015-16 अराजी खेवट/खाता न. 130/153 मुस्ततील न. 33 कीला न. 19/2(5-7), 22(8-0), 23/2(0-13) व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/2(6-18), 3(8-0), 8(8-0), 9(8-0), 12/2(2-13), 13/1(3-11) किता 9 रकबा 51 कनाल 2 मरला का 3/8 भाग रकबा 19 कनाल 3 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तीय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम-खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Rajwanti

Sachin

दिनांक 08/05/2019

प्रलेख नः 244

डीड संबंधी विवरण

डीड का नाम

TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION

तहसील/सब-तहसील तावड़

गांव/शहर

फतेहपुर

धन संबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये

E-Challan No.4753289(पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Service Charge: 200.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार बकौल

यह प्रलेख आज दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:51:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमति राजवंती जांघू पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी रूपनारायण जांघू निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमति राजवंती जांघू

उप/संबुक्त पंजीयन अधिकारी

तावड़

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सचिन जांघू दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनोरी निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

उप/संबुक्त पंजीयन अधिकारी

तावड़

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप / संबुक्त पंजीयन अधिकारी

तावड़

Revenue Department Haryana

HARIS-EX

NIC-HSU

मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र भीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम के हक में हस्तांतरित करती हूँ। कब्जा हस्तांतरित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होंगे। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांतरित दस्तावेज अचल सम्पत्ति मैंने होश-हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांतरित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू

ह0 सम्पत्ति ग्रहिता : सचिन जांघू

Rajwanti

Sachin

गवाह 1 मनजेश कुमार नम्बरदार

गवाह 2 अलोक सिंह

गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

फतेहपुर

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

Ashok

ASHOK
Distt. Mewat

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300

रकबा : 30 कनाल 0 मरला

246

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/ केअ02/ 1899 घा0 9/2014 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम का है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015-16 व इंतकाल न. 1077 अराजी खेवट/खाता न. 130/153 मुस्ततील न. 33 कीला न. 19/2(5-7), 22(8-0), 23/2(0-13) व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/2(6-18), 3(8-0), 8(8-0), 9(8-0), 12/2(2-13), 13/1(3-11) किता 9 रकबा 51 कनाल 2 मरला का 600/1022 भाग रकबा 30 कनाल 0 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह का अकेला मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आडरहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तीय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौक्रे पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम-खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व आर्यन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम एक

प्रलेख नः 246

दिनांक 08/05/2019

डीड संबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/सब-तहसील तावड़	
गांव/शहर	फतेहपुर
धन संबंधी विवरण	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये	E-Challan No.47531001 पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार बकौल

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:56:00PM वजे श्री/श्रीमती/कुमारी रूपनाग्रयण जंघू पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मौर सिंह निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री रूपनाग्रयण जंघू

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़

SUB-REGISTRAR
TAHSEEL

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी आपन जंघू दख्खार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनोरी निवासी फतेहपुर ने की।
साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसूला की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

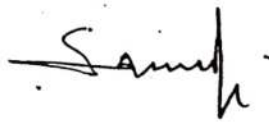
उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़

SUB-REGISTRAR
TAHSEEL

ही परिवार के सदस्य है। जो कि मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र आर्यन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम के हक में हस्तांतरित करता हूँ। कब्जा हस्तांतरित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होंगे। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांतरित दस्तावेज अचल सम्पत्ति मैंने होश-हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांतरित कर्ता : सत्यनारायण जांघू



ह0 सम्पत्ति ग्रहिता : आर्यन जांघू

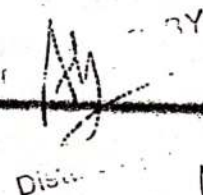


गवाह 1 मनजेश कुमार नम्बरदार
गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Dist. Mewat (Hr.)

गवाह 2 सत्यनारायण जांघू

Agha करेयू



Dist. Mewat (Hr.)

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति/खून के रिश्ते में।

किरम जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300

रकबा : 3 कनाल 3 मरला

247

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/ केअ02/ 1899 घा0 9/2014 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम की है। जो कि मैं बरुये जमबान्दी साल 2015-16 व इंतकाल न. 1002 तकसीम मंजूरशुदा अराजी खेवट/खाता न. 129/152 मुस्ततील न. 33 कीला न. 13/2/2(1-6), 18/1(7-8), 23/1(7-7), व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/1(1-2) किता 4 रकबा 17 कनाल 3 मरला का 33/343 भाग रकबा बयकदर रकबा 3 कनाल 3 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आडरहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तीय संस्था या किराी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किराी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तारआग-ख्रास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Ray want

दिनांक 08/05/2019

प्रलेख नं: 247

होद संबंधी विवरण

होद का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/मंडल-तहसील तावड़
जिला/मंडल फतेहपुर

धन संबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.47532649 पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार बकौल

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:59:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती राजवन्त
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जगू निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/सर्वोक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़

श्री श्रीमती राजवन्त

उपरोक्त प्रस्तुत व श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जगू रहंदा हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर
तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मननेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनोरी निवासी फतेहपुर ने की।
साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा यह साक्षी न: 2 को पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

उप/सर्वोक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत बड़ेका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप / मजदूर पंजीयन अधिकारी
तावड़

Revenue Department Haryana

HARIS-EX

NIC-HSU

मेरा पति है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने पति सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम के हक में हस्तांतरित करती हूँ। कब्जा हस्तांतरित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होंगे। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांतरित दस्तावेज अचल सम्पत्ति मैंने होश-हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांतरित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू ह0 सम्पत्ति ग्रहिता : सत्यनारायण जांघू

Rajwanti

गवाह 1 मनजेश कुमार नम्बरदार

गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

गवाह 2 अशोक S/O राजवन्ती

Ashok

DRAFTED BY
ASHOK
Distt. Court, Nuh



पेशकर्ता



दावेदार



गवाह



उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमती राजवती		Pray want
दावेदार	सत्यनारायण जाधु		Saty
गवाह	मननेश कुमार नम्बरदार		Manish
गवाह	अशोक कुमार		Ashok

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 247 आज दिनांक 08/05/2019 को यही नः 1 जिल्द नः 1,382 के पृष्ठ नः 161 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त यही सख्या 1 जिल्द नः 1,390 के पृष्ठ सख्या 13 से 15 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता ओह गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुल धरे सामने किये हैं।

दिनांक 08/05/2019

उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी
तापड़

(2)

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300

रकबा : 10 कनाल 17 मरला

245

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/ केअ02/ 1899 घा0 9/2014 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम की है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015-16 व इंतकाल न. 1002 तकसीम मंजूरशुदा अराजी खेवट/खाता न. 129/152 मुस्ततील न. 33 कीला न. 13/2/2(1-6), 18/1(7-8), 23/1(7-7), व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/1(1-2) कित्ता 4 रकबा 17 कनाल 3 मरला का 217/343 भाग रकबा बयकदर रकबा 10 कनाल 17 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आडरहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तीय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम-खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Rajwanti

Singh

प्रलेख नः 245

दिनांक 08/05/2019

डोड संबंधी विवरण

डोड का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/सब-तहसील तावड़
गांव/राहर फतेहपुर

धन संबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.4753279(पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Service Charge: 200.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार बकौल

यह प्रलेख आज दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:53:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती राजवन्ती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सतनाराज जन्म निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमती राजवन्ती

उप/संयुक्त प्रमाणन अधिकारी
तावड़

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सतनाराज दख्खर हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मन्नेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिरी निवासी फतेहपुर ने की।
साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसूला की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप/संयुक्त प्रमाणन अधिकारी
तावड़

उप / संयुक्त प्रमाणन अधिकारी
तावड़

Revenue Department Haryana

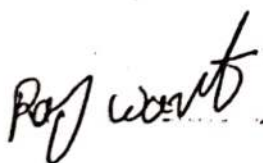
IIARIS-EX

NIC-IISU

मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र भीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम के हक में हस्तांत्रित करती हूँ। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होंगे। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति मैंने होश-हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू

ह0 सम्पत्ति ग्रहिता : सचिन जांघू



गवाह 1 मनजेश कुमार नम्बरदार

गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)



गवाह 2

Sachin 8/0 मनीष

फतेहपुर

Ashtak

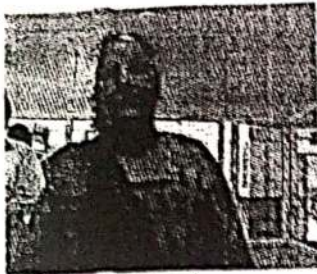
DRAFTED BY
[Signature]

Sachin

Reg. No.
245

Reg. Year
2019-2020

Book No.
1



पेशकर्ता



दावेदार



गवाह



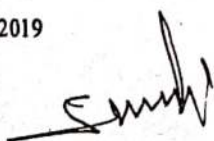
उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमती राजवन्ती		Rajwanti
दावेदार	सविन जांघू		Savin
गवाह	मनजेश कुमार नन्वरदार		Manjesh
गवाह	अशोक कुमार		Ashok

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 245 आज दिनांक 08/05/2019 को बही न: 1 जिल्द न: 1,382 के पृष्ठ न: 160 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 1,390 के पृष्ठ सख्या 7 से 9 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुलि मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 08/05/2019



उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

Reg. No. 244 Reg. Year 2019-2020 Book No. 1



पेशकर्ता



दावेदार



गवाह



उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमति राजवंती नाथू		<i>Rajwanti</i>
दावेदार	सचिन नाथू		<i>Sachin</i>
गवाह	मनजेश कुमार नम्बरदार		<i>Manjesh</i>
गवाह	अशोक		<i>Ashok</i>

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 244 आज दिनांक 08/05/2019 को बही नः 1 जिल्द नः 1,382 के पृष्ठ नः 160 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,390 के पृष्ठ सख्या 4 से 6 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुल मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 08/05/2019

[Signature]

उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी
ता. 08/05/2019